BIS/DGO(475)/2021

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Accounts Department)

25th October, 2021

OFFICE ORDER

Subject: Use of vehicles during official visits by BIS officers posted at BIS ROs/BOs for Inspections/surveillance activities/standard promotion activities

Considering the practical difficulties being faced by the BIS officers during the field visits for inspections/ standard promotion activities/ special surveillance activities like enforcement raids etc. where bulky & voluminous samples/seized material are to be carried to the office under personal supervision, it has now been decided by the Competent Authority that Head of Branch is authorized:

a) to approve the travel plan of a scientific officer or any of the officials in the Branch Office and hiring of a vehicle in connection with official work assigned to them without any restrictions as far as distance is concerned.
b) To hire one vehicle(Maruti Dezire or equivalent) for attending to the regular office work on month-wise hiring charge basis.

Head of Branch has to exercise prudence to ensure optimum utilisation of time and the hired vehicle while granting the approval.

This order supersede the earlier order No. BIS/DGO(457)/2020 dated 10.01.2020 on the subject.

This issues with the approval of DG:BIS.

Sd/-

(N. Ravi Shankar)
Director(Accounts)

Ref: Accts/3:16
Circulated to :

- **ADG, CVO**
- **All DDGs, HoDs at HQs/Labs/NITS/ROs/BOs**
- **PS to DG for DG'S information**
- **H(ITS) – with a request to upload this order on BIS website.**

बीआईएस/डीजीओ (475)/2021

भारतीय मानक ब्यूरो
(लेखा विभाग)

25 अक्टूबर, 2021

कार्यालय आदेश

विषय: बीआईएस के क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों में तैनात अधिकारियों द्वारा निरीक्षण/ निगरानी गतिविधियों/ मानक संवर्धन गतिविधियों हेतु आधिकारिक दौरों के दौरान वाहनों का उपयोग करना।

निरीक्षण/ मानक संवर्धन गतिविधियों/ प्रवर्तन छापों आदि जैसी विशेष निगरानी गतिविधियों के लिए फील्ड दौरों के दौरान बीआईएस अधिकारियों के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, जहां भारी-भरकम नमूनों/ जब्त सामग्री को व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्यालय में लाने के लिए, अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शाखा के प्रमुख निम्नलिखित करने हेतु प्राधिकृत है :

क) शाखा कार्यालय में किसी वैज्ञानिक अधिकारी या किसी भी अधिकारी की यात्रा योजना को अनुमोदित करना और उन्हें सौंपे गए आधिकारिक कार्य हेतु दूरी के संबंध में किसी प्रकार के प्रतिबंध के बैगर उन्हें वाहन किराए पर लेने हेतु अनुमोदन प्रदान करने हेतु।

ख) महीने-वार हायरिंग चार्ज के आधार पर कार्यालय के कार्य का निष्पादन करने हेतु एक वाहन (मारुति डिजायर या समकक्ष) नियमित रूप से किराए पर लेना।

शाखा प्रमुख को अनुमोदन प्रदान करते समय अपने विवेक से यह सुनिश्चित करना होगा कि किराए के वाहन का अच्छी तरह से उपयोग किया जाएं।

यह आदेश उपर्युक्त विषय पर पहले के आदेश सं. बीआईएस/डीजीओ(457)/ 2020 दिनांक 10.01.2020 का स्थान लेता है।

यह महानिदेशक : बीआईएस के अनुमोदन से जारी किया जाता है।.

(एन रविशंकर)
निदेशक (लेखा)

संदर्भ: लेखा /3:16
परिचालन:

- एडीजी, सीवीओ
- सभी उपमहानिदेशक, मुख्यालय/ प्रयोगशालाओं/ एनआईटीएस/ क्षे.का./शा.का. के प्रमुख
- महानिदेशक महोदय की सूचना हेतु महानिदेशक के निजी सचिव
- **प्रमुख (आईटीएस) - इस आदेश को बीआईएस वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ**